रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229546
CG-DL-E-10092021-229546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
No. 259] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

मामला सं. एडी (एनएसआर)- 01/2021

(न्यू शिपर समीक्षा)

विषय : बंग्लादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइड्रोजन पेरोक्साइड" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के मामले में मै. अल-राजी कैमिकल कॉम्पलैक्स लिमिटेड (उत्पादक-सह-निर्यातक) के लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत ।

फा. सं. 7/25/2021-डीजीटीआर.—बंग्लादेश से संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक-सह-निर्यातक मै. अल-राजी कैमिकल कॉम्पलैक्स लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक या याचिकाकर्ता भी कहा गया है) ने समय-समय यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बंग्लादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइड्रोजन पेरोक्साइड" के पाटित आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के मामले में उनके लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है । उक्त शुल्कों की सिफारिश प्राधिकारी द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 14/3/2015-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी और इन्हें केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 1 जून, 2018 की अधिसूचना सं. 33/2018-

सीमाशुल्क (एडीडी) के साथ पठित दिनांक 14 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 28/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था ।

क. शामिल उत्पादक/निर्यातक

2. वर्तमान जांच अधिनियम और ए डी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के अनुसार मै. अल-राजी कैमिकल कॉम्पलैक्स लिमिटेड, बंग्लादेश (उत्पादक-सह-निर्यातक) द्वारा ''हाइड्रोजन पेरोक्साइड'' के प्रस्तावित निर्यातों से संबंधित है ।

ख. नए उत्पादक/निर्यातक के संबंध में समीक्षा की शुरूआत

3. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में निम्नानुसार उल्लेख है :

22. ऐसे निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन जिनकी मूल रूप से जॉंच नहीं की गई थी –

(1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेंगे, बशर्ते ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करते हैं कि वे निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन पर उस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है ।

(2) केन्द्रीय सरकार इस नियम के उप नियम (1) में यथा-संदर्भित निर्यातकों अथवा उत्पादकों से किए गए आयातों पर जांच अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करेगी :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन करे और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्तुति करते हों तो आयातक से गारंटी प्राप्त करे और यदि ऐसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन के निर्धारण में होती हो, तो ऐसे मामलों में वह समीक्षा की शुरूआत की तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करेगी।

(3) अप्रतिदर्शित सहयोगी निर्यातकों या उत्पादकों के लिए पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क को ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों पर भी लगाया जा सकता है जिनकी मूल रूप से जांच नहीं की गई थी ।

4. इस प्रकार इन पाटनरोधी नियमों में प्राधिकारी के लिए जांच के अधीन निर्यातक देश ने किसी ऐसे निर्यातक या उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ समीक्षा शुरू करना अपेक्षित है जिसमें पूर्ववर्ती जांचों की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है और जो निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं है जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है ।

5. मै. अल-राजी कैमिकल कॉम्पलैक्स लिमिटेड बंग्लादेश (उत्पादक-सह-निर्यातक) ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत यथाअपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान की है ।

6. प्राधिकारी ने इस बात से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद कि एडी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत विविध शर्तें पूरी होती हैं, एतद्वारा 11 अप्रैल, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/3/2015-डीजीएडी के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश और दिनांक 1 जून, 2018 की अधिसूचना सं. 33/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के साथ पठित दिनांक 14 जून, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. अधिसूचना सं. 28/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुपालन में बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''हाइड्रोजन पेरोक्साइड'' के पाटित आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में उनसे लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु न्यू शिपर समीक्षा जांच की शुरूआत करने का निर्णय लिया है ।

7. प्राधिकारी एडी नियमावली के नियम 22 के अनुसार दिनांक 1 जून, 2018 की अधिसूचना सं. 33/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के साथ पठित दिनांक 14 जून, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 28/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) को ध्यान में रखते हुए मै. अलराजी कैमिकल कॉम्पलैक्स लिमिटेड द्वारा इस समीक्षा के पूरे होने तक किए गए संबद्ध वस्तु के सभी निर्यातों का अनंतिम आकलन करने की सिफारिश करते हैं ।

ग. जांच की अवधि

8. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रेल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की है ।

घ. सूचना प्रस्तुत करना

9. ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली-110001 को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है । कोई अन्य

हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अनुरोध प्राधिकारी को पस्तुत कर सकता है ।

ड. समय सीमा और सूचना प्रस्तुत करना

10. इस समीक्षा से संबंधित समस्त सूचना ऊपर संगत पैरा में यथा-उल्लिखित जांच/समीक्षा की अवधि पूरी होने की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले प्राधिकारी को लिखित में भेजी जानी चाहिए । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्रापत नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

11. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर प्राधिकारी को समस्त पत्र ईमेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in. पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए ।

12. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर निर्धारित समय-सीमा के भीतर यथा-लागू विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

च. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

13. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

14. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध करने वाले पक्षकार (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्न सहित) के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

15. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

16. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

17. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके।

18. तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

19. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

20. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

21. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

छ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे सभी अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी ।

ज. असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

Case No. AD (NSR)-01/2021

(New Shipper Review)

Subject : Initiation of New Shipper Review under Rule 22 of the Anti- Dumping Rules for determination of the individual dumping margin for M/s. Al-Razi Chemical Complex Limited (Producer-cum-Exporter) in the matter of anti-dumping duty imposed on the imports of "Hydrogen Peroxide" originating in or exported from Bangladesh.

F. No. 7/25/2021-DGTR.—M/s. Al-Razi Chemical Complex Limited (hereinafter referred to as the applicant or the petitioner), a producer-cum-exporter of the subject goods from Bangladesh, has filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the Act) as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) requesting for determination of the individual dumping margin for them in the matter of the anti-dumping duties levied on the dumped imports of Hydrogen Peroxide originating in or exported from Bangladesh. The said duties were recommended by the Authority vide Notification No. 14/3/2015-DGAD dated 11th April, 2017 and levied by the Central Government vide Notification No. 28/2017-Customs (ADD) dated 14th June, 2017, read with Notification No. 33/2018-Customs (ADD) dated 1st June, 2018.

A. Producer/Exporter involved

2. The present investigation relates to the proposed exports of Hydrogen Peroxide by M/s. Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh (producer-cum-exporter) in terms of the application filed before the Authority in accordance with the Act and the AD Rules.

B. Initiation of Review in respect of New Producer/Exporter

3. Rule 22 of the AD Rules states as under:

Rule 22. Margin of dumping, for exporters not originally investigated (1) If a product is subject to Anti-dumping duties, the Designated Authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the Anti-dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy Anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act, on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the Designated Authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.

(3) The anti-dumping duty already imposed for co-operative un-sampled exporters or producers may also be extended to such exporters or producers who were not originally investigated.

4. These AD Rules thereby require the Authority to initiate review for the purpose of determining the individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in question who has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the earlier investigations and who is not related to any of the exporters and the producers in the exporting country who are subjected to the anti-dumping duty.

5. M/s. Al-Razi Chemical Complex Limited (producer-cum-exporter) has provided the necessary information as required under Rule 22 of the Anti-dumping Rules.

6. The Authority, having been *prima facie* satisfied that the conditions as prescribed under Rule 22 of AD Rules are met with, hereby decides to initiate a New Shipper Review investigation for determination of their individual dumping margin in relation to the anti-dumping duties levied on the dumped imports of Hydrogen Peroxide originating in or exported from Bangladesh in pursuance of the recommendations made by the Authority vide final findings Notification No. 14/3/2015-DGAD dated 11th April, 2017 and Customs Notification No. 28/2017-Customs (ADD) dated 14th June, 2017, read with Notification No. 33/2018-Customs (ADD) dated 1st June, 2018.

7. The Authority recommends provisional assessment on all exports of the subject goods made by M/s. Al-Razi Chemical Complex Limited till this review is completed, in accordance with Rule 22 of the AD Rules and having regard to Customs Notification No. 28/2017-Customs (ADD) dated 14th June, 2017, read with Notification No. 33/2018-Customs (ADD) dated 1st June, 2018.

C. <u>Period of Investigation</u>

8. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2021 to 31st December, 2021.

D. <u>Submission of Information</u>

9. The known interested parties are being informed separately to enable them to submit the relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Trade Remedies, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi -110001. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation to the Authority in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.

E. <u>Time-Limit and submission of information</u>

10. All the information relating to this review should be sent in writing to the Authority not later than thirty days from the date of completion of the Period of Investigation/review as stated in relevant para above. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available before the Authority in accordance with the AD Rules.

11. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all the communications should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in.

12. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner as applicable within the time-limit set out above. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a nonconfidential version of the same available to other interested parties.

F. <u>Submission of Information on Confidential Basis</u>

13. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

14. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto) before the Authority, including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
15. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "Confidential" or "Non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be a liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
16. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
17. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis.
18. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
21. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

G. <u>Inspection Of Public File</u>

22. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing Covid-19 global pandemic.

H. <u>Non-cooperation</u>

23. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide the necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.10 22:37:21 +05'30'